

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 43 A : 1[****]

1 Section 43A omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022-Central Tax, dt. 28-09-2022. Earlier to omission it read as under:

"Section 43A : Procedure for furnishing return and availing input tax credit

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.
- (2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.
- (3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.
- (4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.
- (5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.
- (6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.
- (7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.
- (8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,-
 - (i) within six months of taking registration;
 - (ii) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount,

shall be such as may be prescribed."

Section 43A inserted by CGST (Amendment) Act, 2018.

धारा 43क : 1[.....]

- 1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 43क विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह धारा इस प्रकार थी :

धारा 43क : विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया

- (1) धारा 16 की उपधारा (2), या धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्य, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।
- (2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।
- (3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।
- (4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।
- (6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- (7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।
- (8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,—
 - (i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;
 - (ii) जिसने कर संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय के अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वह होगी, जो विहित की जाए।”

धारा 43क सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा अंतःस्थापित।